

2/153

## पूर्व रेलवे

सं. ई.850/हिंदी/1.1.1

कोलकाता, दिनांक: 30.12.2011.

सर्वसंबंधित,

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन- नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि तथा निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एक मुश्त पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

\*\*\*\*\*

सूचना उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.10.2011 का पत्र सं. हिंदी -2011/प्र.10/11 की प्रतिलिपि मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाती है।

संलग्न : यथोक्त।

*(एम. श्रीमदा)*  
30/12/11  
व.राजभाषा अधिकारी  
कृते मुख्य राजभाषा अधिकारी

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधक तथा अन्य के नाम रेलवे बोर्ड के दिनांक 04.10.2011 का पत्र सं. हिंदी -2011/प्र.10/11 की प्रतिलिपि।

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन- नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि तथा निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एक मुश्त पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के 29 जुलाई, 2011 के का.ज्ञा.सं.21034/66/2010-रा.भा.(प्रशि.) की प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई संलग्न है।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*

**EASTERN RAILWAY**

No.E850/Hindi/1.1.1

Kolkata, dated 30 12/2011

All concerned

**Sub:- Increase in the rates of Cash Awards on passing the Hindi Language, Hindi Type writing and Stenography examination conducted under Hindi Teaching Scheme and increase in the rates of Lump sum Awards on passing Hindi Language, Hindi Typewriting and Stenography examinations of Hindi Teaching Scheme through own efforts.**

A copy of Rly.Board's letter No.Hindi-2011/Pra-10/11 dt.04/10/2011 on the above subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

DA: As above

*M. Jamuda*  
30/12/11  
(M. JAMUDA)

Sr.Rajbhasha Adhikari  
for Mukhya Rajbhasha Adhikari

Copy of Rly.Bd's letter No.Hindi-2011/Pra-10/11 dt.04/10/2011 addressed to the GM(OL), All Indian Railways and others.

**Sub:- Increase in the rates of Cash Awards on passing the Hindi Language, Hindi Type writing and Stenography examination conducted under Hindi Teaching Scheme and increase in the rates of Lump sum Awards on passing Hindi Language, Hindi Typewriting and Stenography examinations of Hindi Teaching Scheme through own efforts.**

A copy of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs' O.M.No.21034/66/2011-OL(Trg) dt.29<sup>th</sup> July 2011 on the above subject is enclosed herewith for information and necessary action.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.



II	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि परीक्षाएं	वर्तमान नकद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
क.	हिंदी टंकण		
1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

ख.	हिंदी आशुलिपि		
1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

III	निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं	वर्तमान नकद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
1.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	₹ 1000/-	₹ 1600/-
2.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	₹ 1000/-	₹ 1500/-
3.	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	₹ 1200/-	₹ 2400/-
4.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा	₹ 800/-	₹ 1600/-
5.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	₹ 1500/-	₹ 3000/-

टिप्पणी – जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से कम 5 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

2. नकद पुरस्कारों एवं एकमुश्त पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित हैं।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 29.06.2011 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(9)/ई॥(ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

4. यह कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से मान्य होगा।

\*\*\*\*\*